

18/8/22

कुलाप मरीचि उपाय्या प्रकथ मे लेखित  
 मूल प्र. प्र. आ. आ. 44/2021 का निर्दिष्ट  
 सेवा जो युक्त है अतः अब इस प्रकथ मे  
 और कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह गयी है लिहाजा  
 प्र. प्र. की कार्यवाही अभी सप्त पट्टीय की जाकर  
 प्र. प्र. खारिज किया जाता है। तथा न्यायालय  
 द्वारा जारी अख्यारि निषेधाज्ञा दिनांक 11/01/2022  
 को निरस्त किया जाता है। परापूर्व मैजल मे  
 शुभल धैर्य मूल प्र. प्र. के संलग्न है।



*ha*

उपखण्ड अधिकारी  
 रायसिंहनगर